न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./7318/2006/बीकानेर

1– राधाकिशन (मृतक) हजारी जरिये वारिसान :–

1/1. किशन लाल पुत्र)
1/2. रामावतार पुत्र)
1/3. चतुर्भुज पुत्र) स्व0 राधाकिशन
1/4. सावित्री पुत्री)
1/5. गायत्री पुत्री)
1/6. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि राधाकिशन
1/7. महादेव (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/7/1. राजकुमारी बेवा स्व0 महादेव
1/7/2. पवन पुत्र स्व0 महादेव
1/7/3. जसोदा पुत्री स्व0 महादेव
1/7/4. राधा पुत्री स्व0 महादेव

2. श्रीमती तुलसी पुत्री हजारी (मृतक) (नाम तर्क)

3. श्रीमती गवरा देवी (मृतक) जरिये वारिसान :–

3/1. राम कंवर पुत्र)
3/2. जेठमल पुत्र स्व0)
3/3. ओम प्रकाश पुत्र) स्व0 श्रीमती गवरा देवी
3/4. नन्दकिशोर पुत्र)
3/5. जुगल किशोर)
3/6. गोमती पुत्री)

समस्त जातियान ब्राह्मण निवासी नापासर, मौहल्ला पारीकन, तहसील व जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारआम चतुर्भुज पुत्र स्व0 श्री राधाकिशन।

4. दीनदयाल पुत्र देवकिशन
5. अनसूया पुत्री देवकिशन
6. दुर्गा बेवा देवकिशन

निवासीगण शेरूणा तहसल श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर

......अपीलार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल
2. बद्रीराम
3. मालाराम
3. अमरचन्द
4. श्रीमती राधा
5. श्रीमती मांगा

समस्त पुत्रियान श्री टीकूराम जाति ब्राह्मण निवासीगण कल्याणसर तहसील व जिला बीकानेर।

....प्रत्यर्थीगण

6. राजस्थान सरकार
7. सरोज पुत्री देवकिशन जाति ब्राह्मण निवासी शेरूणा तहसील व जिला डूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

......प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित

श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थितः

श्री विरेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री जे.के. पन्त अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांक : 01–9–2023

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 168/2006 में पारित निर्णय दिनांक 07–10–2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रत्यर्थीगण भंवरलाल वगैरह की ओर से अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत वाद पत्र में अंकित आराजी नया खसरा नंबर 107 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 108 रकबा 17.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 346/102 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल रकबा 18 हैक्टेयर ग्राम देवासर तहसील बीकानेर के बाबत् प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को अपने आदेश दिनांक 24–7–2006 से स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 07–10–2006 से अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री 24–7–2006 को निरस्त कर प्रकरण

परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकियात कायम करते हुए वाद का नियमानुसार निस्तारण करें। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-10-2006 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील-मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी के खाते में वादग्रस्त भूमि संवत 2012 से अंकित है। संवत 2013 में केवल एक वर्ष के लिए भूमि टीकूराम को काश्त करने हेतु दी गई थी। पूर्व में हजारी राम, जो कि अपीलार्थीगण के पिता थे, उनके द्वारा एक वाद अधिनियम की धारा 180 के तहत् प्रतिवादीगण टीकूराम वगैरह के विरूद्ध पेश किया गया, जो कि वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज था। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के द्वारा दिनांक 27-9-1968 को डिक्री किया गया जिसमें टीकूराम को अतिक्रमी घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये गये, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपील 22-7-1975 को खारिज की गई जिसके विरूद्ध मण्डल में अपील पेश होने पर मण्डल द्वारा अपील भी दिनांक 26-9-1986 को खारिज की गई। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने टीकूराम की अपील दिनांक 06-5-2003 को खारिज कर दी। उक्त सभी न्यायालयों ने टीकूराम को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं लेकिन प्रत्यर्थीगण टीकूराम के वारिसान ने तथ्यों को छिपाते हुए एक नया वाद अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है, जो कि चलने योग्य नहीं था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को संधारण योग्य नहीं मानते हुए वाद खारिज कर दिया लेकिन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि की हैं। उनका तर्क है कि हजारीराम, जो कि अपीलार्थीगण का पिता था, वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार था और टीकूराम, जो वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पिता थे, उनको अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये गये थे। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण को उसी आराजी बाबत दूसरा वाद पेश करने का अधिकार नहीं था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य अंकित किया है कि टीकूराम अथवा उनके वारिसान, वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं हो सकते हैं और वह वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने के कारण बेदखली योग्य हे, मात्र वाद को बढ़ावा देने के लिए नया वाद दायर किया गया है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-10-2006 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-10-2006 निरस्त किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 24-7-2006 बहाल रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2003 आर.एल.आर. (ए.सी.) 729, 1998 आर.आर.डी. 529, 1986 आर.आर.डी. 761, 1998 आर.बी.जे. पेज 5, 1998 डी.एन.जे. (राज) 450, आर.आर.टी. 2019 पेज 268, 291, 417, 863, 1100, 1176, 2020 आर.आर.टी. 271, 2020 आर.आर.टी. 1200, 2021 आर.आर.टी. 500, डी.एन.जे. 2022 पेज 1468 की नजीरें पेश की।

5- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पिता टीकूराम ने संवत 2012 से पूर्व तत्कालीन जागीरदार से उक्त आराजी काश्त हेतु ली थी। संवत 2012 में उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा काश्त होने तथा राजस्व रिकार्ड में नाम अंकन होने के कारण स्वतः खातेदारी अधिकार अर्जित कर चुके हैं। परीक्षण न्यायालय ने पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 के तहत् पारित निर्णय का हवाला दिया है। धारा 180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में समरी प्रोसीडिंग्स होती है। वर्तमान वाद अधिनियम की धारा 88 के तहत् पेश किया गया है। इसलिए रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012 में कांट-छांट की गई है। वाद-कारण भी एक जैसा नहीं है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 88 के तहत् वाद लाने के लिए उभय पक्ष को स्वतंत्र मानते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 24-7-2006 को निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को तनकियात कायम कर वाद का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2023 Live Law (SC) पेज 266 की नजीर पेश की।

6- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 24-7-2006 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 10 सीपीसी पर बहस सुनते हुए प्रत्यर्थीगण का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि पूर्व में वादग्रस्त भूमि के बाबत् माननीय उच्च न्यायालय

तक प्रकरण निर्णित हो चुका था इसलिए प्रत्यर्थीगण अब दुबारा वाद दायर नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में अधिनियम की धारा 180 के तहत् बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र निर्णित किया गया था, जो कि एक सरसरी कार्यवाही होती है जबकि पश्चातवर्ती वाद अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया है। घोषणा का वाद पेश करने की कोई समय सीमा नहीं होती है। धारा 180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का आदेश होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी को घोषणात्मक वाद लाने से विधि के तहत रोका नहीं जा सकता।

8- हमारे विनम्र मतानुसार उक्त विधिक स्थिति में रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012, जो कि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज का नाम काटकर अपीलार्थीगण का नाम अंकित किया गया है और इसी आधार पर खातेदारी का नामांतरकरण स्वीकृत हुआ है, जो संदेह से परे नहीं है। प्रत्यर्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वत्व एवं अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के द्वारा ही हो सकता है और यदि थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जावे कि वाद चलने योग्य नहीं है तो भी इस संबंध में जवाबदावा प्रस्तुत होने के बाद इस आशय की तनकी कायम की जानी चाहिए और उसके बाद ही यह निश्चिय किया जाना चाहिए कि वाद चलने योग्य है अथवा नहीं। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर जवाबदावा प्राप्त कर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण इस प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा नहीं होते हैं।

9- परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 07-10-2006 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू)
सदस्य

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य